भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1777

दिनांक 13.03.2013/ 22 फाल्गुन, 1934 (शक) को उत्तर के लिए

बलात्कार के मामलों में अपेक्षित प्रमाण

†1777. डॉ0 प्रभा ठाकुरः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाबालिग बच्चियों, गैंग रेप पीड़िताओं एवं अन्य प्रकार के बलात्कार संबंधी अपराधों को प्रमाणित करने के लिए किस-किस प्रकार के प्रमाणों की आवश्यकता है; और

(ख) इनको प्रमाणित करने की क्या प्रक्रिया है, एवं इनमें कितना समय लगता है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह)

(क) और (ख) : विधि विज्ञान, प्रत्यक्ष साक्ष्य, परिस्थितिजन्य साक्ष्य, भौतिक साक्ष्य, पहचान साक्ष्य आदि जैसे कई प्रकार के साक्ष्य हैं जिन्हें बलात्कार, सामूहिक बलात्कार आदि जैसे जघन्य अपराधों को साबित करते समय ध्यान में रखा जाता है।

रिपोर्टों के एकत्रीकरण, विश्लेषण और तैयार करने के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं अत्यंत व्यापक एवं विस्तृत होती हैं ताकि वे न्यायालयों में न्यायपालिका की कड़ी संवीक्षा का सामना कर सकें। जांच को अंतिम रुप प्रदान करने के लिए आवश्यक समय का निर्धारण प्रत्येक मामले की अंतर्निहित प्रकृति से होता है।